

SAMADHAN COLLEGE, BEMETARA (C.G.)

Cont. 93293-29726. 07824-299001 Email - samadhancollege.bemetra@gmail.com.

OBC CELL



-:: कार्यालय कलेक्टर, बेमेतरा (छ.ग.) ::-

II आदिवासी विकास शाखा II

फोन-07824-222105 ई-मेल-actwd.bemetara@gmail.com

क्रमांक / 182 / आ.जा.क./पो0मै0ऑन0 छात्र0/19/2025-26

बेमेतरा, दिनांक 21/5/2025

सर्व प्राचार्य/संस्था प्रमुख
शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय,

विकास खण्ड - बेमेतरा/बेरला/साजा/नवागढ़
जिला - बेमेतरा (छ.ग.)

विषय :-

वर्ष 2025-26 में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए ऑनलाईन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (वर्षा 12वीं से उच्चतर) हेतु ऑनलाईन पंजीयन की सूचना।

संदर्भ :-

आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास इंद्रावती भवन अटल नगर रायपुर का प्र.क्रमांक/ऑ.ता. पो.ग.छा./215/2025-26/1741-1742 नवा रायपुर दिनांक 19.05.2025

-00-


उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रानुसार वर्ष 2025-26 में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत आपके महाविद्यालय में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति पंजीयन, स्वीकृति एवं वितरण की कार्यवाही <http://postmatric-scholarship.cg.nic.in/> वेबसाइट पर ऑनलाईन प्रारंभ की गई है।

जिसके अंतर्गत विभाग द्वारा ऑनलाईन आवेदन/प्रस्ताव/स्वीकृति वर्ष 2025-26 हेतु निम्नानुसार तिथि निर्धारित की जा रही है:-

आवेदन का प्रकार	विद्यार्थियों द्वारा ऑनलाईन आवेदन प्राप्ति तिथि	स्वीकृति एवं डिस्टाबर्स		संभावित भुगतान तिथि
		शासकीय	अशासकीय	
1	2	3	4	5
मधीनीकरण	31 मई 2025 तक	07 जून 2025 तक	10 जून 2025 तक	10 जून 2025 तक
	31 अगस्त 2025 तक	07 सितम्बर 2025 तक ✓	10 सितम्बर 2025 तक	10 सितम्बर 2025 तक
	30 नवम्बर 2025 तक ✓	15 दिसम्बर 2025 तक ✓	20 दिसम्बर 2025 तक	31 दिसम्बर 2025 तक
शपीन	31 अगस्त 2025 तक	07 सितम्बर 2025 तक ✓	10 सितम्बर 2025 तक	10 सितम्बर 2025 तक
	30 सितम्बर 2025 तक ✓	07 अक्टूबर 2025 तक ✓	10 अक्टूबर 2025 तक	10 अक्टूबर 2025 तक
	30 नवम्बर 2025 तक ✓	15 दिसम्बर 2025 तक ✓	20 दिसम्बर 2025 तक	31 दिसम्बर 2025 तक

कृपया विद्यार्थियों को उनके आधार सीडेड बैंक खाते में भुगतान 07 कार्य दिवस में प्राप्त होगा। निर्धारित तिथियों के पर्याप्त शिक्षा सत्र 2025-26 की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति ऑनलाईन आवेदन हेतु पोर्टल बंद कर दिया जावेगा एवं Draft Proposal Lock अथवा Sanction Order Lock करने का अवसर भी प्रदान नहीं किये जाने का निर्देश प्राप्त है। प्राप्त निर्देशानुसार उक्त तिथि तक कार्यवाही पूर्ण नहीं करने पर यदि संबंधित संस्थाओं के पात्रता रखने वाले विद्यार्थी छात्रवृत्ति से वंचित होने की स्थिति में संस्था प्रमुख जिम्मेदार होंगे।

- छात्रवृत्ति हेतु निम्नानुसार पात्रता निर्धारित है:-
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों को पालक की आय-सीमा रु. 2.50 लाख प्रतिवर्ष, अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आय-सीमा रु. 1.00 लाख प्रतिवर्ष, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थाई जाति प्रमाण पत्र, छ.ग. का मूल निवास प्रमाण पत्र, विद्यार्थी के अध्ययनरत पाठ्यक्रम के विगत वर्ष का परीक्षा परिणाम।
- PFMS के माध्यम से आधार सीडेड बैंक खाते में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का भुगतान किया जा रहा है। अतः सभी विद्यार्थी अपने सक्रिय एवं आधार सीडेड बैंक खाते की प्रविष्टि ऑनलाईन आवेदन करते समय सुनिश्चित करें।
- वर्ष 2025-26 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को NSP Portal से OTR(One Time Registration) प्राप्त करना आवश्यक है। इस हेतु राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल में प्रदाय निर्देशों का अवलोकन किया जा सकता है।
- वर्ष 2025-26 में नवीन संस्था प्रमुख (HoI) एवं संस्था के छात्रवृत्ति प्रभारी (INO) का Biometric-Authentication किया जाना अनिवार्य है।




सहायक आयुक्त,
आदिवासी विकास, जिला-बेमेतरा
बेमेतरा, दिनांक 21/5/2025

पृ क्रमांक / 183 / आ.जा.क./पो0मै0ऑन0 छात्र0/19/2025-26

प्रतिलिपि:-

- आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
- कलेक्टर, जिला जिला बेमेतरा की ओर सादर सूचनार्थ।
- उप संचालक, जनसंपर्क बेमेतरा की ओर सूचनार्थ कर लेख है कि कृपया उपरोक्तानुसार जानकारी (पोर्टल प्रारंभ एवं अंतिम तिथि) दो स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में लगातार तीन दिवस निःशुल्क प्रकाशन कराने का कष्ट करेंगे।



सहायक आयुक्त,
आदिवासी विकास, जिला-बेमेतरा